न्यायालय संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– डॉ. श्रीमती प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 505/2024

जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/535

अपीलाण्ट :–

1. मृत मगराज पुत्र श्री दीपचंद कातरेला ओसवाल जैन निवासी सोजत सिटी भागीदार फर्म श्री कुशल कृषि फॉर्म, के कायम मुकाम
   - 1/1 श्रीमती पुष्पा बाई पत्नी स्व.मगराज ओसवाल जैन उम्र 83 वर्ष,निवासी शाह दीपचंद किसनाजी 186, गुलालवाडी कीका स्ट्रीट मुम्बई (महाराष्ट्र)
   - 1/2 सुरेश कुमार पुत्र स्व. मगराज जी ओसवाल जैन उम्र 64 वर्ष, निवासी शाह दीपचंद किसनाजी 186, गुलालवाडी कीका स्ट्रीट मुम्बई (महाराष्ट्र)
   - 1/3 पोपटलाल पुत्र स्व. मगराज ओसवाल जैन उम्र 62 वर्ष, निवासी शाह दीपचंद किसनाजी 186, गुलालवाडी कीका स्ट्रीट मुम्बई (महाराष्ट्र)
   - 1/4 अशोक पुत्र स्व. मगराज ओसवाल जैन उम्र 60 वर्ष, निवासी शाह दीपचंद किसनाजी 186, गुलालवाडी कीका स्ट्रीट मुम्बई(महाराष्ट्र)
   - 1/5 दिनेश पुत्र स्व. मगराज ओसवाल जैन उम्र 54 वर्ष, निवासी शाह दीपचंद किसनाजी 186, गुलालवाडी कीका स्ट्रीट मुम्बई (महाराष्ट्र)
   - 1/6 गौतम पुत्र स्व. मगराज ओसवाल जैन उम्र 52 वर्ष, निवासी शाह दीपचंद किसनाजी 186, गुलालवाडी कीका स्ट्रीट मुम्बई (महाराष्ट्र)

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. हस्तीमल पुत्र पन्नालाल जी कटारिया ओसवाल उम्र बालिग, निवासी सोजत तहसील सोजत जिला पाली (राज.) हाल निवासी C/o B.R. Metal Corporation, 38-A 2nd Bhoiwada (Bhuleshwar) Mumbai - 2 (Maharstra)
2. स्व. बाबूलाल पुत्र दीपचंद जी कातरेला के वारिशानः
   - 2/1 रमेश कुमार पुत्र स्व. बाबूलाल ओसवाल उम्र बालिग
   - 2/2 रंजीत कुमार पुत्र स्व. बाबूलाल ओसवाल उम्र बालिग
   - 2/3 महावीरचंद पुत्र स्व. बाबूलाल ओसवाल उम्र बालिग
   - 2/4 कुशलराज पुत्र स्व. बाबूलाल ओसवाल उम्र बालिग
   - 2/5 मृत दिनेश कुमार पुत्र स्व. बाबूलाल जी ओसवाल के वारिसानः
     - 2/5/1 एकता जैन पत्नी स्व. दिनेश कुमार ओसवाल उम्र बालिग
     - 2/5/2 शांतनु पुत्र स्व. दिनेश कुमार ओसवाल उम्र बालिग निवासीगण सोजत तहसील सोजत जिला पाली (राज.) हाल निवासीगण C/o Shah Babulal Deepchand and Company 35/37, Bapu Khote, X-Lane, Shop No-4, Pydunie Mumbai -2 (Maharstra)
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत, जिला पाली राजस्थान

संभागीय आयुक्त
पाली

1/7 श्रीमती शीला पुत्री स्व. मगराज ओसवाल जैन पत्नी सुरेश सुराणा उम्र 61 वर्ष, निवासी शाह दीपचंद किसनाजी 186, गुलालवाडी कीका स्ट्रीट मुम्बई (महाराष्ट्र)

1/8 श्रीमती मंजू पुत्री स्व. मगराज ओसवाल जैन पत्नी तारकेश्वर जी मेहता उम्र 58 वर्ष, निवासी शाह दीपचंद किसनाजी 186, गुलालवाडी कीका स्ट्रीट मुम्बई (महाराष्ट्र)

1/9 श्रीमती आशा पुत्री स्व. मगराज जी ओसवाल जैन पत्नी सुनील जी सुराणा उम्र 55 वर्ष, निवासी शाह दीपचंद किसनाजी 186, गुलालवाडी कीका स्ट्रीट मुम्बई (महाराष्ट्र)

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली के राजस्व अपील 38/2019 में पारित निर्णय दिनांक 14–03–2024

उपस्थिति :–

1. श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय विद्वान अधिवक्तागण, अपीलाण्ट्स।
2. श्री गजेन्द्र दवे, श्री महावीर प्रसाद, विद्वान अधिवक्तागण, रेस्पोडेण्ट्स।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 24 अक्टूबर, 2024

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स की ओर से अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 2727 दिनांक 18.01.2012 को अपास्त कराने हेतु प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 14–03–2024 को पारित किया गया।

उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–03–2024 से व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

संभागीय आयुक्त,
पाली

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अभिकथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 03 द्वारा जो म्यूटेशन क्रमांक 2727 दिनांक 18.01.2012 पारित किया था वो तथ्यो एवं विधि के विरूद्ध था जो अपास्त किये जाने योग्य था। अपीलार्थी के पूर्वज मगराज जी और रेस्पोडेंट संख्या 01 हस्तीमल जी और रेस्पोडेंट संख्या 02 बाबूलाल ने श्री कुशल कृषि फॉर्म के नाम से कृषि भूमि मौजा सोजत चक नम्बर 02 में खसरा नम्बर 3218 रकबा 0.050 हैक्टर, खसरा नम्बर 3219 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 3220 रकबा 2.0 हैक्टर, खसरा नम्बर 3221 रकबा 2.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 3227 रकबा 3.48 हैक्टर खरीद की गई थी। मगराज, हस्तीमल और बाबूलाल ने आपस मे एक पार्टनरशीप डीड दिनांक 07.10.1986 को लिखी थी और उसे उप पंजीयन अधिकारी सोजत के यहां रजिस्टर्ड करवायी थी और उसमे भी उक्त भूमि श्री कुशल कृषि फॉर्म के नाम से खरीदना और उक्त भूमि श्री कुशल कृषि फॉर्म फर्म की होना स्वीकार किया गया था।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अभिकथन किया कि दिनांक 08.12.1988 को एक रिटायर्डमेंट डीड कम डीड ऑफ पार्टनरशीप बाबूलाल, हस्तीमल और मगराज के मध्य लिखी गयी थी और फर्म श्री कुशल कृषि फॉर्म से बाबूलाल रिटायर्ड हुआ था और उस डीड मे उसने यह स्वीकार किया था कि अब उसका इस श्री कुशल कृषि फॉर्म में और इस श्री कुशल कृषि फॉर्म की चल–अचल सम्पति मे और इस श्री कुशल कृषि फॉर्म की उपरोक्त कृषि भूमि मे कोई हक हिस्सा अधिकार नही रहा है और मगराज का 65 प्रतिशत और हस्तीमल का 35 प्रतिशत हिस्सा रहा है। उपरोक्त डीड लिखे जाने के पश्चात बाबूलाल का श्री कुशल कृषि फॉर्म के नाम से खरीद की गई उपरोक्त कृषि भूमि में कोई हक, हिस्सा, अधिकार, कब्जा इत्यादि नहीं रहा था। उक्त तथ्य बाबूलाल के वारीशान की जानकारी मे भली भांति थे। श्री कुशल कृषि फॉर्म के नाम से जो उपरोक्त कृषि भूमि खरीद की गई थी, उसमे बाबूलाल द्वारा दिनांक 08.12.1988 को उपरोक्त डीड लिखे जाने के बाद उसका कोई हक, हिस्सा, अधिकार नही रहा था और मगराज का 65 प्रतिशत और हस्तीमल का 35 प्रतिशत हिस्सा हुआ था। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में यह इन्द्राजात उस अनुरूप नही करवाया जा सका था, उसका दुरूपयोग करते हुए बाबूलाल के स्वर्गवास के पश्चात बाबूलाल के वारीशान ने फौतेदगी म्यूटेशन क्रमांक 2727 दिनांक 18.01.2012 तहसीलदार सोजत से पारित करवाया जो प्रांरभ से ही शून्य था, तथ्यों एवं विधि के विरूद्ध था जो अपास्त किये जाने योग्य था, क्योंकि स्वीकृत रूप से कृषि भूमि श्री कुशल कृषि फॉर्म के नाम से खरीद की गई थी और कृषि भूमि बाबूलाल की व्यक्तिगत नही थी बल्कि श्री कुशल कृषि फॉर्म नामक फर्म की थी, इस कारण फौतगदी म्यूटेशन तो पारित हो ही नही सकता था। यह भी स्वीकृत स्थिति थी कि जब बाबूलाल दिनांक 08.12.1988 को उपरोक्त डीड के जरिये फर्म श्री कुशल कृषि फॉर्म से रिटायर्ड हो गया था वह उस फर्म में भागीदार ही नहीं रहा था, उस फर्म में तो भागीदार मगराज और हस्तीमल ही रहे थे। उन परिस्थितियों मे जब बाबूलाल उस फर्म का भागीदार ही नही रहा था तो बाबूलाल की मृत्यु के पश्चात उसका फौतेदगी म्यूटेशन हो ही नही सकता था और यह भी स्वीकृत स्थिति थी कि फर्म श्री कुशल कृषि फॉर्म में बाबूलाल के वारीसान कभी भी भागीदार नहीं हुए थे। इन

संभागीय आयुक्त,
पाली

परिस्थितियों मे भी बाबूलाल के वारीसान के नाम फौतेदगी म्यूटेशन तो पारित हो ही नही सकता था. इन तथ्यो पर योग्य अधिन न्यायालय ने कोई गौर नही किया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने अभिकथन किया कि अपीलाधिन निर्णय/आदेश पारित करने का एकमात्र आधार यह बताया है कि मगराज, हस्तीमल और बाबूलाल के वारीसान ने आपसी सहमति से दिनांक 18.04.2012 को आपसी बंटवाडा किया और वो बंटवाडा सभी पक्षकारान ने राजी खुशी किया, इस कारण बाबूलाल की मृत्यु के पश्चात जो म्यूटेशन संख्या 2727 दिनांक 18.01.2012 पारित किया गया वह विधि अनुसार सही व आपसी सहमति से भरा गया। यह आधार बनाने मे भी योग्य अधिन न्यायालय ने तथ्यो एवं विधि की भूल की है। दिनांक 18.04.2012 को जो बंटवाडा होना बताया जाता है वह किसी भी रूप मे सभी पक्षकारान ने राजीखुशी नही किया था और उक्त बंटवाडे के आधार पर यह नही माना जा सकता था कि म्यूटेशन संख्या 2727 दिनांक 18.01.2012 विधि अनुसार सही और आपसी सहमति से भरा गया हो। योग्य अधिन न्यायालय के समक्ष म्यूटेशन संख्या 2727 दिनांक 18.01.2012 उपलब्ध था उसके अवलोकन से ही स्पष्ट था कि मग़राज और हस्तीमल को उक्त म्यूटेशन पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नही दिया गया था, वे उस म्यूटेशन में पक्षकार नही थे, इन परिस्थितियो मे यह म्यूटेशन संख्या 2727 दिनांक 18.01.2012 किसी भी रूप में और किसी भी आधार पर मगराज और हस्तीमल की सहमति से नही भरा गया था, उसके बावजूद योग्य अधिन न्यायालय ने बिना किसी कारण व आधार के यह दर्ज कर दिया कि बाबूलाल की मृत्यु के पश्चात उनके विधिक उत्तराधिकारी के नाम भरा गया फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2727 दिनांक 18.01. 2012 विधि अनुसार सही व आपसी सहमति से भरा गया। उक्त म्यूटेशन मे मगराज और हस्तीमल की किसी भी रूप मे सहमति नही थी। इन तथ्यों पर भी योग्य अधिन न्यायालय ने कोई गौर नही किया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने अभिकथन किया कि अधिन न्यायालय ने अपीलाधिन निर्णय/आदेश पारित करने का एक आधार यह बताया है कि पार्टनरशीप फर्म में फर्म और पार्टनर का पृथक–पृथक अस्तीत्व नही होता है अतः म्यूटेशन संख्या 2727 सही और सत्यता सिद्ध होने से खारिज किया जाना न्यायसंगत नहीं है। यह आधार बनाने में भी योग्य अधिन न्यायालय ने तथ्यो एवं विधि की भूल की है, क्योंकि स्वीकृत रूप से विवादित कृषि भूमि श्री कुशल कृषि फॉर्म नामक फर्म की थी जिसमे से बाबूलाल उपरोक्त डीड दिनांक 08.12.1988 अनुसार रिटायर्ड हो चुका था और दिनांक 08.12.1988 के बाद वह इस फर्म में भागीदार नही रहा था और इस फर्म मे मगराज 65 प्रतिशत के और हस्तीमल 35 प्रतिशत के भागीदार हो गये थे और जब बाबूलाल इस फर्म में दिनांक 08.12.1988 के बाद भागीदार ही नही रहा तो उसका इस फर्म मे कोई अस्तीत्व ही नही था और उसका इस फर्म के भागीदार के रूप मे कोई अस्तीत्व ही नही था तथा उसका इस फर्म की चल–अचल सम्पति एवं विवादित कृषि भूमि इत्यादि मे कोई अधिकार ही नही था इन परिस्थितियों में फर्म श्री कुशल कृषि फॉर्म की कृषि भूमि का म्यूटेशन बाबूलाल की मृत्यु के बाद बाबूलाल के वारीसान के नाम पारित किया ही नही जा सकता था और जो म्यूटेशन संख्या 2727 पारित किया गया था वह विधि विरूद्ध था, शून्य था, शून्यकरणीय था, एब इनिशियो वाईड था, जो निरस्त किये जाने योग्य था जिसे निरस्त नही कर यथावत रखने में योग्य अधिन न्यायालय ने तथ्यों एवं विधि की भूल की है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2024 व तहसीलदार सोजत द्वारा पारित म्यूटेशन संख्या 2727 दिनांक 18.01. 2012 को निरस्त फरमाया जावे और रिटायर्डमेंट डीड कम डीड ऑफ पार्टनरशीप दिनांक 08.12.1988 अनुसार अपीलार्थीगण का 65 प्रतिशत और रेस्पोडेंट संख्या 01 का 35 प्रतिशत हिस्सा उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करने के आदेश प्रदान करावें।

संभागीय आयुक्त,
पाली

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने दौराने बहस अभिकथन किया कि श्री कुशल कृषि फर्म की भूमि मगराज, बाबूलाल तथा हस्तीमल द्वारा वादग्रस्त भूमि खरीद की गयी थी, जिसमें खरीददार मालिक मगराज पुत्र श्री दीपचन्द जाति औसवाल कातरेला निवासी सोजत का 2/5 बंट हिस्सा, बाबुलाल पुत्र श्री दीपचन्द जाति ओसवाल कातरेला निवासी सोजत का 2/5 बंट तथा हस्तीमल पुत्र श्री पन्नालाल जाति ओसवाल कटारिया निवासी सोजत का 1/5 बंट था। जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार आज भी कायम है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने निवेदन किया कि स्व. श्री बाबुलाल ने अपने जीवन काल में फर्म से अलग हो जाने बाबत ऐसी कोई पार्टनरशीप डीड नही लिखी तथा न ही रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के वारिसान को इस संबंध में कोई जानकारी है। बाबुलाल की मृत्यु दिनांक 24.04.1999 को हो चुकी है तथा दिनांक 07.10.1986 को पार्टनरशीप डीड बनाई गयी। जिससे दिनांक 05.12.1988 को बाबुलाल का भागीदारी फर्म से अलग करना बताया गया है। फर्म से संबंधित दस्तावेज अपीलाण्ट के पास ही रहते थे जो मात्र इन्कम टेक्स परपज से थे जिससे तीनो भागीदारों द्वारा कम्पनी बनाई गयी होगी एवं उस कम्पनी में Loss & Profit लेकर निकलना होता है। बैचान दस्तावेज दिनांक 06.10.1986 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बाबूलाल जी ने 2/5 हिस्सा खरीद किया गया है अर्थात् वादग्रस्त कृषि भूमि मालिकाना हक के आधार पर खरीद की गयी थी जिसमें बाबुलाल के हक में 2/5 हिस्सा आता है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने निवेदन किया कि अगर माना जावे कि 1988 में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को पार्टनरशीप से पृथक कर दिया गया है तो 1988 में ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से भी पृथक करना चाहिये जो राजस्व रिकॉर्ड में आज दिन तक जारी है। यह है कि तीनो भागीदारों (बाबूलाल, मगराज, हस्तीमल) ने सहमति से दिनांक 18.04.2012 को बंटवाड़ा किया जिसे तस्दीक करवाने हेतु तहसीलदार सोजत के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 18.04.2012 को प्रस्तुत किया, जिसे सभी ने बयान देकर सही बताया एवं जिसके आधार पर तीनों मौके पर काबिज है। पार्टनरशीप डीड मात्र इन्कम टेक्स विभाग तक सिमित थी बाबुलाल जी की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसानो के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 2727 दिनांक 18.01.2012 विधि अनुसार एवं आपसी सहमति से भरा गया है जिसके संबंध में सम्पुर्ण जानकारी मगराज जी को थी। अधिनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.03.2014 में विवेचन किया गया है कि जैर अपील नामान्तरकरण पक्षकारों के आपसी बंटवाड़ा से पहले भरा गया था कि सभी पक्षकारों की सहमति से भरा गया। इसलिये जैर अपील भरा गया था जो कि सभी पक्षकारों की सहमति से भरा गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण पक्षराको के आपसी बंटवाड़ा से पहले भरा गया था जो कि सभी पक्षकारों की सहमति से भरा गया इसलिये जैर अपील नामान्तरकरण विधिनुसार भरा गया है जो सही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.032024 विधि के अनुसार होने अपील खारिज योग्य है।

6. हमने उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि जैर अपील तहसीलदार सोजत द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 2727 दिनांक 18.01.2012 को अपास्त कराने हेतु

संभागीय आयुक्त,
पाली

प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली में प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 14.03.2024 को पारित किया गया।

अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 व 2 की एक भागीदारी फर्म श्री कुशल कृषि फर्म का गठन दिनांक 30.09.1986 को किया गया है। जिसमें अपीलाण्ट का 2/5 हिस्सा, रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 का 1/5 एवं रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 का 2/5 हिस्सा है। मौजा सोजत चक नंबर 2 में खसरा नम्बर 3218 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 3219 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नम्बर 3220 रकबा 2.0000 हैक्टर, खसरा नम्बर 3221 रकबा 2.4700 हैक्टर, खसरा नम्बर 3227 रकबा 3.4800 हैक्टर कृषि भूमि श्री कुशल कृषि फर्म की भूमि मगराज, बाबूलाल तथा हस्तीमल द्वारा खरीद की गयी। जिसमें खरीददार मगराज का 2/5 बंट, बाबुलाल का 2/5 बंट तथा हस्तीमल का 1/5 बंट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। वकील अपीलाण्ट का मुख्य तर्क यह है कि दिनांक 08.12.1988 को एक रिटायर्डमेंट डीड कम डीड ऑफ पार्टनरशीप बाबूलाल, हस्तीमल और मगराज के मध्य लिखी गयी जिसके अनुसार फर्म श्री कुशल कृषि फॉर्म से बाबूलाल रिटायर्ड हो गये तथा श्री कुशल कृषि फॉर्म की चल–अचल सम्पति और श्री कुशल कृषि फॉर्म की उपरोक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं रहा है तथा उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि में मगराज का 65 प्रतिशत और हस्तीमल का 35 प्रतिशत हिस्सा रहा है। इस न्यायालय में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.03.2024 में पार्टनरशीप डीड दिनांक 08.12.1988 के संबंध में कोई विवेचन नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का फैसला अस्पष्ट है तथा तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली के राजस्व अपील संख्या 38/2019 उनवान मगराज के का.मु. पुष्पाबाई वगैरह बनाम हस्तीमल वगैरह में निर्णय दिनांक 14–03–2024 को अपास्त किया जाता हैं। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट को साक्ष्य, सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये उपरोक्तानुसार वर्णित स्पष्ट विवेचन के पश्चात् विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जाये।

संभागीय आयुक्त,
पाली

यह निर्णय आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
पाली